सीधी भर्ती हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें:-

इन सेवा शर्तों में, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, 'कंपनी' जब भी उपयोग किया जाएगा, का अर्थ पूर्ववर्ती राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनी होगा |

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यता:-

क्र.	पद	शैक्षणिक अर्हता
1	**कार्यालय सहायक श्रे-III - प्रशिक्षु**	1: उम्मीदवार को केन्द्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (12वीं) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए | एवं 2: उक्त के अतिरिक्त उम्मीदवार को निम्नांकित में से कोई एक कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है : (i) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, या (ii) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, या (iii) NIELIT (पूर्ववर्ती DOEACC) से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, या (iv) शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम/ एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, या (v) NCVT, नई दिल्ली या SCVT, मध्य प्रदेश से "कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA)" में एक वर्ष का पाठ्यक्रम | उपरोक्त कंप्यूटर डिप्लोमा/परीक्षा के अतिरिक्त निम्नांकित कंप्यूटर योग्यता भी स्वीकार्य होगी: BE /MCA/BCA/MSc (IT/CS)/ BSc (IT/CS)/ M.Tech./ ME (टीप: उल्लेखनीय है की BSc/BCom इत्यादि डिग्री पाठ्यक्रम जिनमे कंप्यूटर साक्षरता का मात्र एक विषय सम्मिलित हो, को उपरोक्त अर्हता हेतु मान्य नहीं किया जायेगा) एवं 3: उपरोक्त के अतिरिक्त, उम्मीदवार का MPSEDCL (पूर्ववर्ती MAP-IT) द्वारा आयोजित सीपीसीटी (CPCT) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है | इस सम्बन्ध में उम्मीदवार के पास वैध सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना चाहिए जिसमे दो विषयों (कंप्यूटर दक्षता और हिंदी टाइपिंग) में एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है | विभागीय संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए –पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में लागू संविदा नीति के अनुसार उत्तरवर्ती कंपनियों में 01 जुलाई की स्थिति में कार्यरत कार्यालय सहायक श्रे-III (संविदा) अथवा समकक्ष संविदा पद पर कार्यरत विभागीय संविदा उम्मीदवार जिन्हें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर संविदा अनुबंध पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो और उपरोक्त अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते है, संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने हेतु पात्र होंगे ।

www.newsobmp.com

2	**लाईन परिचारक (वितरण)- प्रशिक्षु**	केन्द्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं। एवं केन्द्र या राज्य शासन (NCVT/SCVT) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था/ प्राइवेट आईटीआई संस्थान से 2/3 वर्षीय आई.टी.आई. (विद्युतकार/लाईनमेन/वायरमेन) परीक्षा उत्तीर्ण (अप्रेंटिस प्रशिक्षण अवधि को छोडकर) | आई.टी.आई. में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रीकल सेक्टर से शहडोल, रतलाम, रामपुरा एवं नर्मदानगर आई.टी.आई. से दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे। अथवा दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा म.प्र. अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) म.प्र. शासन/ म.प्र. की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा जारी तार मिस्त्री (ओवरहेड अधिष्ठापन कार्य में) प्रमाण-पत्र। विभागीय संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए – पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में लागू संविदा नीति के अनुसार उत्तरवर्ती कंपनियों में 01 जुलाई की स्थिति में कार्यरत लाईन परिचारक (संविदा) अथवा समकक्ष संविदा पद पर कार्यरत विभागीय संविदा उम्मीदवार जिन्हें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर संविदा अनुबंध पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो और उपरोक्त अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते है, संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
3	**सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु**	ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी. सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं। एवं पुलिस/थलसेना/नेवी/आर्मड फोर्स/ पेरामिलिट्री फोर्स/केंद्र या राज्य शासन के इंटेलीजेंस विभाग/ म प्र राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों के सुरक्षा विभाग में अथवा होमगार्ड में सैनिक /लांस नायक/ नायक हवलदार अथवा उच्च पद पर कार्यरत कार्मिक जिन्होने विज्ञापन दिनांक की तिथि को न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा भूतपूर्व सैनिक (Ex-Serviceman) (न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा का अनुभव अनिवार्य))। उपरोक्त विभागों द्वारा अनुशासनहीनता/विभागीय जांच/अस्वस्थता इत्यादि के कारण सेवा से पृथक/बर्खास्त किए गए कार्मिक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे | टीप: निजी/प्राइवेट सुरक्षा संस्थानों मे कार्यरत/अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे |
4	**कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) – मैकेनिकल प्रशिक्षु**	ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,

www.newsjobmp.com

		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
5	**कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) – इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षु**	ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से अनारक्षित एवं म.प्र के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए) / पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए) / म.प्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए) के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलिकम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन/ इंस्ट्रुमेंटेशन/ इंस्ट्रुमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
6	**कनिष्ठ अभियंता / सहायक प्रबंधक (सिविल) प्रशिक्षु**	ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अना./ म.प्र के मूल निवासी अ.पि.व. श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (या समतुल्य सी.जी.पी.ए) या पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 60% अंक (या समतुल्य सी.जी.पी.ए) या म.प्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए) के साथ सिविल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
7	**कनिष्ठ अभियंता / सहायक प्रबंधक (वितरण/पारेषण/ संयंत्र) -इलैक्ट्रिकल प्रशिक्षु**	ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अना./ म.प्र के मूल निवासी अ.पि.व. श्रेणी के लिए न्यूनतम 65% अंक (या समतुल्य सी.जी.पी.ए) या पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 60% अंक (या समतुल्य सी.जी.पी.ए) या म.प्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु 55% (या समतुल्य सी.जी.पी.ए) के साथ इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में नियमित (Regular) डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं। विभागीय संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए – पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में लागू संविदा नीति के अनुसार उत्तरवर्ती कंपनियों में 01 जुलाई की स्थिति में संविदा आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंता (वितरण/पारेषण) अथवा समकक्ष संविदा पद पर कार्यरत विभागीय संविदा उम्मीदवार जिन्हें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर संविदा अनुबंध पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो और उपरोक्त

www.newsbomb.com

		अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते है, संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
8	**सहायक विधि अधिकारी/ विधि सहायक प्रशिक्षु**	राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अना./ म.प्र के मूल निवासी अ.पि.व. श्रेणी के लिए न्यूनतम 60% अंक (या समकक्ष सीजीपीए) या पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 55% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) या म.प्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु 50% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) के साथ नियमित पूर्णकालिक एल.एल.बी. डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं। हालांकि, वे अभ्यर्थी जिन्होंने राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से 5 वर्षीय एलएलबी डिग्री कोर्स अना./ म.प्र. के मूल निवासी अ.पि.व. श्रेणी के लिए न्यूनतम 60% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) या पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 55% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) या म.प्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु 50% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) के साथ उत्तीर्ण किया हो, वे भी पात्र होंगे।
9	**सहायक प्रबंधक (मा.सं.) प्रशिक्षु**	राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण एवं राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से अना./ म.प्र के मूल निवासी अ.पि.व. श्रेणी के लिए न्यूनतम 60% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) या पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 55% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) या म.प्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु 50% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) के साथ मानव संसाधन/श्रम कानून/कार्मिक प्रबंधन में नियमित पूर्णकालिक एक वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं। उच्च योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी अर्थात समाज कल्याण/श्रम कल्याण/कार्मिक प्रबंधन में पीजी डिग्री, कार्मिक प्रबंधन/एचआरएम /एचआरडी/आईआर/एमएसडब्लू में एमबीए/पीजीडीएम, अना./ म.प्र के मूल निवासी अ.पि.व. श्रेणी के लिए न्यूनतम 60% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) या पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 55% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) या म.प्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु 50% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) भी आवेदन कर सकते हैं।

www.newsjobmp.com

10	**सहायक प्रबंधक (सू.प्रौ.) प्रशिक्षु**	अभ्यर्थी के पास राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय या एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अना./ म.प्र. के मूल निवासी अ.पि.व. श्रेणी के लिए न्यूनतम 60% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) या पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 55% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) या म.प्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन के लिए 50% अंक (या समतुल्य सीजीपीए) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में नियमित पूर्णकालिक बीई/बीटेक उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं या सूचना प्रौद्योगिकी/कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में नियमित पूर्णकालिक समकक्ष डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों के पास आवेदन दिनांक पर निम्नलिखित वैश्विक प्रमाणन में से कोई एक भी होना आवश्यक है – MCSE/ MCSA/ MCSD/ RHCE/ RHCSA/ OCP (DBA & Development)/ CCNA/CCNP /CCI, ITIL (Foundation)/ITIL (Intermediate), SCJA/OCAJP
11	**संयंत्र सहायक – मैकेनिकल प्रशिक्षु**	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा म.प्र. शासन/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ मशीनीस्ट/ फिटर / बैल्डर / एच.पी. बैल्डर/ मैकेनिक पंप/ मैकेनिक वाहन / मोटर मैकेनिक / डीजल मैकेनिक ट्रेड में नियमित (Regular) आई.टी.आई. ट्रेड प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
12	**संयंत्र सहायक – इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु**	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा म.प्र. शासन / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ इलेक्ट्रिशियन / वायर मेन / इलेक्ट्रॉनिक्स / इन्स्ट्रूमैनटेशन ट्रेड में नियमित (Regular) आई.टी.आई. ट्रेड प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।

www.newsjobmp.com

		नर्मदानगर, शहडोल, रतलाम, रामपुरा स्थित सेंन्टर ऑफ एक्सिलेंस के अंतर्गत संशोधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में उपरोकतानुसार अर्हकारी अंकों के साथ दो वर्षीय राष्ट्रीय ट्रेड सर्टिफिकेट (आई.टी.आई. इलेक्ट्रिकल ट्रेड के समतुल्य) भी मान्य होगा एवं उक्तानुसार अर्हता धारण करने वाले आवेदक भी आवेदन कर सकेंगे।
13	**औषधी संयोजक (फार्मासिस्ट)**	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति 12 वी (विज्ञान संकाय) परीक्षा उत्तीर्ण तथा राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ भेषजज्ञ (फार्मेसी) में नियमित डिप्लोमा/ डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं। उपरोक्त के साथ म.प्र. फार्मेसी काउंसिल में भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) के रूप में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
14	**भण्डार सहायक प्रशिक्षु**	1: उम्मीदवार को केन्द्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (12वीं) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। एवं 2: उक्त के अतिरिक्त उम्मीदवार को निम्नांकित में से कोई एक कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है : (vi) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, या (vii) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, या (viii) NIELIT (पूर्ववर्ती DOEACC) से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, या (ix) शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम/ एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, या (x) NCVT, नई दिल्ली या SCVT, मध्य प्रदेश से "कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA)" में एक वर्ष का पाठ्यक्रम। उपरोक्त कंप्यूटर डिप्लोमा/परीक्षा के अतिरिक्त निम्नांकित कंप्यूटर योग्यता भी स्वीकार्य होगी: BE /MCA/BCA/MSc (IT/CS)/ BSc (IT/CS)/ M.Tech./ ME (टीप: उल्लेखनीय है की BSc/BCom इत्यादि डिग्री पाठ्यक्रम जिनमे कंप्यूटर साक्षरता का मात्र एक विषय सम्मिलित हो, को उपरोक्त अर्हता हेतु मान्य नहीं किया जायेगा) एवं

www.newsjobmp.com

		3: उपरोक्त के अतिरिक्त, उम्मीदवार का MPSEDCL (पूर्ववर्ती MAP-IT) द्वारा आयोजित सीपीसीटी (CPCT) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है | इस सम्बन्ध में उम्मीदवार के पास वैध सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना चाहिए जिसमे दो विषयों (कंप्यूटर दक्षता और हिंदी टाइपिंग) में एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है |
15	**कनिष्ठ शीघ्रलेखक**	1: उम्मीदवार को केन्द्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (12वीं) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए | एवं 2: उक्त के अतिरिक्त उम्मीदवार को निम्नांकित में से कोई एक कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है : (xi) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, या (xii) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, या (xiii) NIELIT (पूर्ववर्ती DOEACC) से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, या (xiv) शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम/ एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, या (xv) NCVT, नई दिल्ली या SCVT, मध्य प्रदेश से "कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA)" में एक वर्ष का पाठ्यक्रम | उपरोक्त कंप्यूटर डिप्लोमा/परीक्षा के अतिरिक्त निम्नांकित कंप्यूटर योग्यता भी स्वीकार्य होगी: BE /MCA/BCA/MSc (IT/CS)/ BSc (IT/CS)/ M.Tech./ ME (टीप: उल्लेखनीय है की BSc/BCom इत्यादि डिग्री पाठ्यक्रम जिनमे कंप्यूटर साक्षरता का मात्र एक विषय सम्मिलित हो, को उपरोक्त अर्हता हेतु मान्य नहीं किया जायेगा) एवं 3: उपरोक्त के अतिरिक्त, उम्मीदवार का MPSEDCL (पूर्ववर्ती MAP-IT) द्वारा आयोजित सीपीसीटी (CPCT) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है | इस सम्बन्ध में उम्मीदवार के पास वैध सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना चाहिए जिसमे दो विषयों (कंप्यूटर दक्षता और हिंदी टाइपिंग) में एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है | एवं 4: म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से अंग्रेजी अथवा हिंदी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण।
16	**ए.एन.एम**	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा म.प्र. में संचालित शासकीय महिला बहु उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) प्रशिक्षण केन्द्रों से निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण ।

www.newsbmp.com

		उपरोक्त के साथ रजिस्ट्रार, म.प्र. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से महिला बहु उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
17	**ड्रेसर (पट्टी बंधक)**	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण । एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय/संस्थान से ड्रेसर का तीन माह का प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र |
18	**स्टाफ नर्स**	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति मे 12 वी (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र,जीव विज्ञान विषयो से) परीक्षा उत्तीर्ण एवं अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्वती म.प्र. राज्य विद्‌धुत मण्डल की उतरवर्ती कंपनीयो मे कार्यरत नियमित कार्मिको हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.)/ म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियो हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी. जी. पी. ए.) के साथ राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविध्यालय/ संस्थान से नियमित बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । एवं उपरोक्त के साथ म.प्र. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल मे जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है ।
19	**लैब टेक्नीशियन (प्रयोगशाला तकनीशियन)**	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति 12 वीं (जीव विज्ञान संकाय) परीक्षा उत्तीर्ण तथा राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से लेब टेक्किशियन में नियमित डिप्लोमा / डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । उपरोक्त के साथ म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
20	**रेडियोग्राफर**	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति 12 वीं (जीव विज्ञान संकाय) परीक्षा उत्तीर्ण तथा राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से रेडियोग्राफर में नियमित डिप्लोमा/ डिग्री / प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । उपरोक्त के साथ म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
21	**ईसीजी टेक्नीशियन**	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) परीक्षा पद्धति 12 वीं (जीव विज्ञान संकाय) परीक्षा उत्तीर्ण तथा राज्य शासन अथवा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /

www.newsjobmp.com

		संस्थान से ईसीजी टेक्निशियन में नियमित डिप्लोमा/ डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उपरोक्त के साथ म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
22	**अग्निशामक**	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । एवं म.प्र. शासन/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन मे मुख्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अग्निशमन पाठ्यक्रम की अवधि छ: (6) माह से कम नही होनी चाहिये।
23	**प्रकाशन अधिकारी प्रशिक्षु**	ए.ई.टी.सी.आई./यू.सी.जी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्वर्ती म.प्र. राज्य विद्धुत मण्डल की उतरवर्ती कंपनीयो मे कार्यरत नियमित कार्मिको हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.)/ म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियो हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी. जी. पी. ए.) के साथ नियमित (regular) मास कम्युनिकेशन/जन संपर्क/पत्रकारिता मे पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है |
24	**सुरक्षा सैनिक**	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) शिक्षा पद्धति 12 वीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । एवं पुलिस / थलसेना / नेवी / आर्म्ड फोर्स / पेरामिलिट्री फोर्स / केंद्र या राज्य शासन के इंटेलीजेन्स विभाग/ होमगार्ड में सैनिक / लांस नायक / नायक हवलदार के रूप में कार्यरत कार्मिक जिंहोने विज्ञापन दिनांक की तिथि को न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा भूतपूर्व सैनिक (Ex- Serviceman) (न्यूनतम दो वर्ष की सेवा का अनुभव अनिवार्य है।) उपरोक्त विभागो द्वारा अनुशासनहीनता/विभागीय जांच/ अस्वस्थता इत्यादि के कारण सेवा से पृथक /बर्खास्त किये गये कार्मिक आवेदन हेतु पात्र नही होंगे। टीप- निजी / प्राइवेट सुरक्षा संस्थाओं में कार्यरत / अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र नहीं है ।
25	**प्रोग्रामर प्रशिक्षु**	ए.आई.सी.टी.ई/यू.जी.सी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी.ई. (कम्प्यूटर साइंस/आई.टी.)/बी.टेक (कम्प्यूटर साइंस/ आई.टी.)/एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साइंस/आई.टी.)/एम.सी.एम. (कम्प्यूटर साइंस/आई.टी.)/ एम.सी.ए. उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । अनिवार्य विशेष अर्हता : 1. डॉटनेट, जावा, पी.एच.पी. प्रोग्रामिंग में प्रोजेक्ट किए गए हों (कम से कम 05)

www.newsjobmp.com

		2. उक्त टेक्नोलॉजी में मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेशन अनिवार्य। अनिवार्य कार्यानुभव : 1. शासकीय संस्थान/ अर्द्धशासकीय संस्थान/केन्द्रीय अथवा राज्य पी.एस.यू. में न्यूनतम 02 वर्ष का कार्यानुभव। 2. केवल प्रोग्रामिंग का अनुभव ही मान्य होगा। शैक्षणिक संस्थानों में अध्यापन एवं साफ्टवेयर सपोर्ट अनुभव मान्य नहीं होगा। विभागीय संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए – पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में लागू संविदा नीति के अनुसार उत्तरवर्ती कंपनियों में 01 जुलाई की स्थिति में संविदा आधार पर कार्यरत प्रोग्रामर अथवा समकक्ष संविदा पद पर कार्यरत विभागीय संविदा उम्मीदवार जिन्हें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर संविदा अनुबंध पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो और उपरोक्त अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते है, संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने हेतु पात्र होंगे
26	**कल्याण सहायक प्रशिक्षु**	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस. डब्ल्यू. (सामाजिक कार्य में मास्टर) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । अनिवार्य विशेष अर्हता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि। अनिवार्य कार्यानुभव : शासकीय संस्थान/ अर्द्धशासकीय संस्थान/केन्द्रीय अथवा राज्य पी.एस.यू. में न्यूनतम 02 वर्ष का कार्यानुभव।
27	**सिविल परिचारक प्रशिक्षु**	केन्द्र या राज्य शासन (NCVT/SCVT) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था/ प्राइवेट आईटीआई संस्थान से 01 वर्षीय आई.टी.आई. (मेसन ट्रेड) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है | आई.टी.आई. में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित शहडोल, रतलाम, रामपुरा एवं नर्मदानगर आई.टी.आई. से मेसन ट्रेड मे 01 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे ।

www.newsjobmp.com